न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या 13/2012

जगदीश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.2.2012 तहसीलदार संगरिया जिसकी रूह से चक 6 बीजीपी–ए के खाता संख्या 1 में गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि का नामान्तरकरण जरिये नामान्तरकरण सं0 478 गैरमुमकिन कब्रिस्तान वक्फ दर्ज किया गया–बमुराद मन्सुखी आदेश।

उपस्थितः–1.श्री नरेश पारीक वकील अपीलान्ट
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–08.03.2017

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप रूप में इस प्रकार है कि चक 6 बी.जी.पी. पटवार मण्डल ढाबां तहसील संगरिया के खाता संख्या 1/1 खाता नाकाबिल काश्त जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में मुरब्बा नम्बर 68 में 2.934 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नाम से राजस्व रिकार्ड में प्रारम्भ से ही दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 7.2.2012 को गैरमुमकिन कब्रिस्तान वक्फ के नाम दर्ज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एंव अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट मेघवाल जाति से है। अपीलान्ट जातिगत प्रथा के अनुसार मेघवाल

प्रप्र
जिला कलक्टर
हनुमानगढ

जाति के लोगो की मृत्यु के पश्चात उन्हे दफनाया जाता है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पूर्वजों एंव मेघवाल जाति के अन्य व्यक्तियों को मृत्योपरांत दफनाया जाता रहा है इसके अतिरिक्त उक्त कब्रिस्तान की भूमि में मजहबी सिख, नायक जाति के लोग एवं कुछ अन्य जातियों के लोग जो पाकिस्तान से पलायन कर आये हुए है। परम्परा अनुसार उन्हे मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार संगरिया द्वारा एक तरफा इन्तकाल दर्ज नही किया गया है। तहसीलदार संगरिया द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश की पालना में प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इन्तकाल संख्या 478 दिनांक 07.02.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलान्ट को बिना सुने प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल दर्ज कर दिया है। तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रश्नगत इन्तकाल में जिला कलक्टर (भू. अ.) हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक एफ 9 ( ) ( ) वक्फ सर्वे/भू.अ./06/123–29 दिनांक 17.1.2012 का हवाला देते हुए प्रश्नगत भूमि दर्ज करना पाया गया हैं। तहसीलदार संगरिया द्वारा पत्र दिनांक 10.1.2014 द्वारा भिजवाये गये मूल इन्तकाल रजिस्टर का अवलोकन किया गया। उक्त इन्तकाल रजिस्टर के इन्तकाल संख्या 478 दिनांक 07.02.2012 का अवलोकन किया। जिसके साथ जिला कलक्टर के उक्त पत्र क्रमांक एफ 9 ( ) ( ) वक्फ सर्वे/भू.अ./06/123–29 दिनांक 17.1.2012 की प्रति संलग्न है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया है कि तहसीलदार संगरिया द्वारा उक्त पत्र का गहनता से अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य है। उक्त विवेचना अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि वे जिला कलक्टर (भू. अ.) हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक एफ 9 ( ) ( ) वक्फ सर्वे/भू.अ./06/123–29 दिनांक 17.1.2012 का पुनः अवलोकन करते हुए तथा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 08.03.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़